फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

हरकरण बनाम उप पंजीयक वगेरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 316/2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
6.08.2015	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थी के पक्ष में, सुविधा का संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि मौजा [illegible] रवकर उ. के खेत ख.न. 564/718 रकबा 05 बीघा की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे तथा वाद ग्रस्त खेताय का बेचान/हस्तान्ततरण आदि नही करें। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.09.2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) [illegible] (नागौर)	
21/9/15	वकील वादी उप। अप्रार्थीगण की ओर से 01/ए10 [illegible] का जरिये वकील अम्बालाल पाराशर के पेश हुआ। नकल रिलाई के [illegible] गई। जिसका जवाब [illegible] एवं तलबी हेतु दिनांक 12/10/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एस.डी.एम. [illegible] (नागौर)	

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना में संक्षिप्त नोट
6.4.18	वकील प्रा. उप. । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का खातेदार नहीं है जिस के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। अलग से विस्तारपूर्वक निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या – 316 / 2015

1– हरकरण पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी खंवर तहसील जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– उपखंजीयक अधिकारी जायल जिला नागौर।
2– तहसीलदार जायल जिला नागौर।
3– लछुडी पत्नि मुन्नाखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
4– लाडूखां पुत्र अजीमखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
5– हनीफखां पुत्र अजीमखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
6– रजिया पुत्री अजीमखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
7– नवाबखां पुत्र मुन्नाखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
8– सलीमखां पुत्र मुन्नाखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
9– कालूखां पुत्र मुन्नाखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
10– खातून पुत्री मुन्नाखां जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
11– शायरी पुत्री वस्तीराम जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।
12– जैतुन पुत्री वस्तीराम जाति ढाढी निवासी मेडता जिला नागौर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री शिवकुमार पारासर प्रार्थी की ओर से।
श्री अम्बालाल पारासर अप्रार्थी सं. 03 से 12 की ओर से।

06/4/18

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खंवर के खेत खसरा नम्बर 564/718 रकबा 05 बीघा खेत आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। यह खेत अमोलक पुत्र बस्तीराम जाति मुस्लमान ढाढी निवासी रोल के खातेदारी में था, जिस को प्रार्थी ने दिनांक 08.04.1975 को रूपये 5000 देकर खरीद लिया था। बैचाण बाबत खातेदार अमोलक ने प्रार्थी के हक में लिखा पढी कर दी थी तथा उसी दिन प्रार्थी को खेत का कब्जा सोंप दिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थी का इस खेत पर लगातार कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं है। खातेदार अमोलक आज से लगभग 29–30 साल पूर्व फौत हो गया जिस के पिछे कोई भी विधिक उत्तराधिकारी नहीं है अमोलक स्वयं अविवाहित था व ग्राम में उस के कोई नजदीकी परिवार का सदस्य नहीं है। प्रार्थी और खातेदार अमोलक को कानुनी जानकारी नहीं होने से खेत की रजिस्ट्री प्रार्थी के हक में नहीं हो सकी।

परन्तु प्रार्थी को यह जानकारी मिली है कि बाहर गांव का कोई व्यक्ति फर्जी फोतगी म्यूटेशन अमोलक के वारिशान का करवाने की कोशिश में है प्रार्थी का इस खेत पर कब्जा काश्त है तथा खेत पर खातेदारी अधिकार है। इसलिये प्रथत दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है दौराने वाद किसी भी प्रकार का फर्जी फोतगी म्यूटेशन करने में कोई सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिस की पूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थी सं. 02 के विरूद्ध भूमि का बैचान, बक्सीस, हस्तान्तरण नहीं करने व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 01 से 02 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे इसलिये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 03 से 12 की और से वकील श्री अम्बालाल पारासर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश –1 नियम –10 सी.पी.सी. का पेश कर इन को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश –1 नियम –10 सी.पी.सी. की विधिवत सुनवाई कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इन को अप्रार्थी सं. 03 से 12 तक पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं. 03 से 12 की और से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर पैरा वाईज खण्डन कर निवेदन किया कि अमोलक के पिता बस्तीराम के पांचा संतानें अमोलक, अजीम, सायरी, मुन्ना, जैतून हुए थे अमोलक निसन्तान फौत हो गया तथा अजीम व जैतून भी फौत हो गये। अजीम के दो पुत्र लोडूखां व हनीफखां व एक पुत्री रजिया हुयी तथा मुन्ना के तीन पुत्र नबाबखां, सलीमखां, कालूखां व

06/4/18

Scanned by CamScanner

एक पुत्री खातून है तथा पत्नि लछुडी है। अमोलक निःसन्तान फौत होने से उस की समस्त चल अचल सम्पत्ति के मालिक अप्रार्थी सं. 03 से 12 है। मौजा खंवर के खेत खसरा नम्बर 564/718 रकबा 05 बीघा पर स्व. बस्तीराम की पांचों सन्तानों का शुरू से ही कब्जा चला आ रहा है। अमोलक सब से बडा भाई होने के नाते उस के नाम से खेत आंवटन हो गया। दिनांक 08.04.1975 को स्व. अमोलक ने प्रार्थी हरकरण के पक्ष में रू. 5000 लेकर कोई लिखा पढी नहीं की थी अगर किसी प्रकार की लिखा पढी की होती तो अप्रार्थी सं. 03 से 12 को भी जानकारी होती। प्रार्थी के द्वारा बैचान नामा की कोई लिखा पढी प्रार्थना पत्र के साथ भी पेश नहीं की है। प्रार्थी हरकरण झूठ बोल रहा है तथा इस के पास कोई अमोलक के द्वारा की गयी लिखा पढी नहीं है फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेश करना चाहता है। प्रार्थी पर खेत खसरा नम्बर 564/718 की घोषणा अपने नाम से करवा लेता है तो अप्रार्थी सं. 03 से 12 को बहुत ही आर्थिक नुकशान होगा जिस की पूर्ति धन से भी संभव नहीं है। इसलिये जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना आधार के पेश किया है जिस को खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी वकील व वकील अप्रार्थी सं. 03 से 12 की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस मुख्यतया प्रार्थना पत्र पर आधारित रही। वकील अप्रार्थी सं. 03 से 12 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अमोलक के भाई, बहनो व भाईयों के वारिशानों को पक्षकार नहीं बनाकर तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी झूठा अंकित किया है कि खातेदार अमोलक से यह भूमि जरिये बैचान खरीदी थी जिस के संबंध में कोई बैचान का रजिस्टर्ड प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रवली के अवलोकन करने से स्पष्ठ हुआ की प्रार्थना पत्र में अंकित मौजा खंवर का खेत खसरा नम्बर 564/718 प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का खेत नहीं है तथा प्रार्थी के द्वारा मौजा खंवर के खेत खसरा नम्बर 564/718 के खरीदने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड प्रमाणित दस्तावेज भी पेश नहीं किय है केवल मात्र एक अप्रामाणित लिखा पढी की फोटो कापी पेश की है। प्रार्थी के द्वारा जब प्रार्थना पत्र पेश किया तब भी अमोलक के विधिक वारिशानों को भी पक्षकार नहीं बनाकर गलत आधारों से प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जो विधि के विरूद्ध है। इन तथ्यों से साबित होता है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

06/4/18

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र सं० 316/2015

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। तहरीर पालनार्थ तहसीलदार जायल को जारी हो।

06/4/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 06.4.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/4/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner